मीना छात्रावास एवं अध्ययन केन्द्र एलुमिनाई संस्था

मीना छात्रावास एवं अध्ययन केन्द्र, झालाना डूंगरी, जयपुर (राज.)–302004

रजि. सं.–COOP/2017/JAIPUR/100063) **E-mail: aluminimeenahostel@gmail.com**

अध्यक्ष
श्री गिर्राज प्रसाद मीना
8238044433

उपाध्यक्ष
श्री विजय कुमार मीना
9982646488

श्री राजेन्द्र मीना
9161418354

सचिव
श्री चन्द्र प्रकाश मीना
9408793962

संयुक्त सचिव
श्रीराम मीना
9785606568

श्री राहुल कुमार मीना
9409119497

कोषाध्यक्ष
श्री भरत लाल मीना
9887877179

मीडिया प्रभारी
श्री कृष्ण मुरारी मीना
9414643531

कार्यकारी सदस्य
श्री प्रमोद कुमार मीना
7300334957

श्री पृथ्वीराज मीना
9958948581

श्री टीकम मीना
9314563499

श्री दीपक कुमार मीना
8946951843

अनुशंसा

इस संस्थान की अधिसूचना दिनांक 03.09.2021 के द्वारा दो कमेटियों का गठन किया गया था जिनको अपूरणीय क्षति व आर्थिक सहायता के मापदंड बनाने की जिम्मदारी दी गई थी। उसमें से एक कमेटी ने अपनी अनुशंसायें कार्यकारिणी को प्रस्तुत की हैं। उक्त कमेटी का नाम, कार्यक्षेत्र व पदाधिकारी निम्न प्रकार से हैं–

1. अपूरणीय क्षति से संबंधित घटना पर आर्थिक सहयोग के मानदण्ड निर्धारण कमेटीः–

कार्यक्षेत्र– छात्रावास परिवार व संस्था के सदस्यों की अपूरणीय क्षति (आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना) की स्थिति में आर्थिक मदद के मानदण्डों का मसौदा/प्रारूप तैयार करना।

सदस्य–पांच सदस्यीय कमेटी होगी जो निम्न प्रकार होगी–

पद	नाम	बैच	मो. न.
अध्यक्ष	श्री प्रमोद कुमार मीना	2002–2007	7300334957
सदस्य	श्रीराम मीना	2003–2008	9785606568
सदस्य	श्री रवि कुमार मीना	2007–2012	7239996296
सदस्य	श्री चेतराम मीना	2011–2016	7701936732
सदस्य	श्री रोहित मीना	2012–2017	9717985284

मार्गदर्शक– डॉ. सत्यपाल सिंह मीना इस संदर्भ में मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे तथा कमेटी चाहे तो समय–समय पर उनसे मार्गदर्शन ले सकती है।

नामित (co-opted) सदस्य– कमेटी इस कार्य में सहयोग व सुझावों हेतु संस्था के सदस्यों (एलुमिनस) में से किन्हीं पांच सदस्यों को सहमति से नामित कर सकती है।

इस संदर्भ में संस्था के सदस्यों से अपेक्षा की गई थी कि वे अपने विचार व निविष्टियां उपरोक्त कमेटी के अध्यक्ष या सदस्यों को 31 अक्टूबर 2021 तक पहुंचाये जिससे कि कमेटी द्वारा उन पर विचार किया जा सके।

2. दिनांक 17.10.2021 को कार्यकारिणी की मीटिंग में उपरोक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाएँ निम्न प्रकार हैंः–

" एल्युमिनाई संस्था द्वारा एल्युमिनाई के सदस्यों या छात्रावास में अध्ययनरत भाइयों की आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु या विपरीत परिस्थितियों के कारण पढ़ाई जारी न रख पाने की परिस्थितियों में

आर्थिक सहायता का प्रावधान किया जा सकता है। इस समय में अधिकतम निष्पक्षतावाद के साथ निर्णय लेने के लिए निम्न सुझाव प्रस्तावित किए जा रहे हैं।

पारिवारिक और आर्थिक मानदंड

1. पात्र छात्रावासी के माता-पिता या भाई-बहिन सरकारी सेवा में कार्यरत न हो।

2. पात्र छात्रावासी के माता-पिता या भाई-बहिन का कोई निजी व्यवसाय न हो।

3. पात्र छात्रावासी अनाथ हो।

4. पात्र छात्रावासी के पास 5 बीघा सिंचित या 10 बीघा असिंचित भूमि से कम भूमि हो।

5. पात्र छात्रावासी के परिवार के पास घर के अलावा फ्लेट, प्लाट, व्यवसायिक भूमि न हो।

6. पात्र छात्रावासी को मुआवजा, बीमा राशि, सरकारी सहायता राशि मिलने पर कमेटी आर्थिक सहयोग पर निर्णय करेगी।

7. पात्र छात्रावासी की सहायता प्रोत्साहक और रिफंडेबल होगी। छात्रावासी का जॉब लगने पर सहायता राशि एल्युमिनाई संस्था को वापस करनी होगी ताकि भविष्य में दूसरे छात्रों की मदद की जा सके।

8. पात्र छात्रावासी की के लिए प्रारंभिक प्रस्ताव संबंधित बैच द्वारा किया जाएगा और बैच कॉर्डिनेटर के माध्यम से कमेटी को भेज जाएगा जिस पर अंतिम निर्णय एल्युमिनाई संस्था द्वारा किया जाएगा।

9. एल्युमिनाई संस्था इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने से पहले आवश्यक जानकारी जुटाएगे और छानबीन करेगी और इसके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से पात्र छात्रावासी के गांव जाकर विस्तृत जानकारी जुटाई जा सकती है।

10. आर्थिक सहायता की राशि के संबंध में एलुमनाई संस्था द्वारा विभिन्न पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय किया जाएगा जो सर्वमान्य होगा।

11. छात्रावास के स्तर पर आर्थिक सहयोग के लिए अलग से कोई मिशन नहीं चलेगा; परंतु गांव में या उसके दोस्तों द्वारा चलाए गए मिशन में सहयोग करने के लिए सभी स्वतंत्र होंगे और किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा।

12. इनके अतिरिक्त वे सभी नियम और शर्तें जो संस्था द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए; इस विषय पर लागू होगी।"

3. उपरोक्त अनुशंसाएँ आज दिनांक 21.10.2021 को सभी बैच प्रतिनिधियों तथा अन्य सदस्यों के समक्ष रखी जा रही हैं। सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने विचार, अपने बैच प्रतिनिधियों तक आने वाली दिनांक 30.10.2021 तक पहुंचायें तथा बैच प्रतिनिधि भी अपने विचार एवं अनुशसाएँ उपरोक्त कमेटी सदस्यों को दिनांक 05.11.2021 तक दें। तत्पश्चात् दिये गये किसी भी प्रकार के सुझाव अथवा नवीन बिन्दुओं को अंतिम मसौदे में शामिल नहीं किया जायेगा।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

स्थानः—जयपुर
दिनांक—21.10.2021

सचिव
(चन्द्र प्रकाश मीना)